

**भारतीय रिज़र्व बैंक**
RESERVE BANK OF INDIAवेबसाइट : www.rbi.org.in/hindiWebsite : www.rbi.org.inई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

23 अक्तूबर 2023

आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के माध्यम से फ्लोटिंग दर बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) का अंशदान

आरबीआई-रिटेल डायरेक्ट योजना का शुभारंभ **12 नवंबर 2021** को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, व्यक्तिगत निवेशकों को ऑनलाइन पोर्टल (<https://rbiretaildirect.org.in>) का उपयोग करके भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ रिटेल डायरेक्ट गिल्ट खाता खोलने की अनुमति है, जिसके माध्यम से प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है। इस योजना ने निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाकर सरकारी प्रतिभूतियों को खुदरा निवेशकों की आसान पहुंच तक ला दिया है।

वर्तमान में, खुदरा निवेशक, रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों, खजाना बिलों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड में निवेश कर सकते हैं। रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने वाले उत्पादों की समूह का विस्तार करने के अपने प्रयास में, भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक ने, फ्लोटिंग दर बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) - एफआरएसबी 2020 (टी) का अंशदान सक्षम किया है। एफआरएसबी भारत सरकार द्वारा जारी ब्याज वाले, गैर-व्यापार योग्य बॉण्ड हैं, जिसकी अदायगी जारी होने की तारीख से सात वर्ष की समाप्ति पर की जाती है। एफआरएसबी 2020 (टी) के बारे में अधिक जानकारी [भारत सरकार की दिनांक 26 जून 2020 की अधिसूचना संख्या एफ.सं4\(10\)-बी\(डब्ल्यूएंडएम\)/2020](#) से प्राप्त की जा सकती है।

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1164

अजीत प्रसाद
निदेशक (संचार)